सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 163/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 26.12.2017
निर्णय दिनांक – 09.04.2018

1. श्री सुरेश पिता श्री घीसा धाकड़, निवासी धाकड़, मोहल्ला सेंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री बगदीराम पिता श्री घीसा धाकड़, निवासी धाकड़, मोहल्ला सेंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. श्री जगन्नाथी पिता श्री घीसा धाकड़, निवासी धाकड़, मोहल्ला सेंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

– अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री पीयुष पिता श्री मनोज कोठारी, निवासी सुभाष नगर, भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्री प्रवीण कुमार पिता श्री निर्भयसिंह खंजाची, निवासी हिरण मगरी, सेक्टर न.11, उदयपुर
3. श्री भेरू पिता श्री रतन धाकड़, निवासी धाकड़, मोहल्ला सेंती, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़
5. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 90–ए का आदेश दिनांक 06.12.2017

उपस्थितिः–

1. श्री मांगीलाल पालीवाल – वकील अपीलान्ट
2. श्री एस.एल. बोहरा – वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 से 3
3. श्री नरेश जणवा – वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–4

निर्णय

दिनांक 09.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अर्न्तगत धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 90–ए का आदेश दिनांक 06.12.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्री भेरूलाल धाकड़, पीयुष कुमार कोठारी एवं प्रवीण कुमार खंजाची द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के समक्ष मौजा सेंती, तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी न. 510, 517, 2372/523, कुल किता 3 रकबा 0.4400 हेक्टयर के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन हेतु हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए की कार्यवाही बाबत दिनांक 09.10.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रकाशन किया गया। अपीलान्टस् द्वारा आपत्ति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् की आपत्ति एवं तथ्यों पर मनन किया जाकर आदेश दिनांक 30.11.2017 से आपत्ति अस्वीकार की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–90–ए का आदेश दिनांक 06.12.2017 का पारित किया गया। उक्त आदेशों से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित होकर दिनांक 27.03.2018 को बहस सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट अपने आराजी न. 509 में आने जाने हेतु अपने स्वयं के आराजी न. 515 में अवस्थित बाडें में से होकर अपने आराजी न. 516 में से होकर आराजी न. 517, 510 की पश्चिम दिशा में मेड़ के सहारे–सहारे अवस्थित रास्ते से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित रास्ते से होकर अपनी आराजी न. 509 में पहुचते है अर्थात अपनी उक्त आराजी न. 509 में आने जाने का एकमात्र कदमी रास्ता मौजूद है, जिसको रेस्पोडेंट जबरन बंद करके उक्त आराजीयात का विधिक विपरित भू–रूपान्तरण करवा दिया। अपीलान्टगण का अपनी उक्त भूमि पर आने जाने हेतु उक्त भूमि पर से एकमात्र रास्ता है, उसके अलाबा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और रेस्पोडेंट उक्त रास्ते को जबरन बन्द करने एवं द्वेषतावश बंद कर रूपान्तरण करवा रास्ता बंद करना चाहते है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की ओर कोई ध्यान

नहीं देकर मन मकसूद तरीके से कार्यवाही की जा रही है एवं सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की जा रही है। महज रेस्पोडेंट को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पंहुचाते हुए विधि विपरीत जाकर आपत्ति खारिज कर दी और भूमि की 90–ए की कार्यवाही करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है और जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने यह भी बताया कि अपीलान्टस् ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अपना रास्ता बन्द कर देने से उपजिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ में धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भी प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है और उक्त भूमि विवाद रहित नहीं है, बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विपरीत जाकर उक्त भूमि की 90–ए की कार्यवाही करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अन्त में वकील अपीलान्टगण द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाने का अनुरोध किया।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने बहस में बताया कि इस मामले में मौजा सेंती, तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 510, 517, 2372/523 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है. भूमि के सम्बन्ध में आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत समर्पण की तथा उसके सम्बन्ध में अखबार में छाया किया गया तथा अपीलान्ट ने जानबुझकर गलत आपत्ति पेश की कि हम आराजी न. 509 भूमि रेस्पोडेंट की भूमि में लगती हुई है तथा आराजी न. 509 पर जाने के लिए रास्ते के रूप में रेस्पोडेंट की कुछ भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है तथा हमारी अपीलान्ट की इस आपत्ति को नगर विकास प्रन्यास द्वारा मौका देखने के बाद अपीलान्ट की आपत्तियों को निराधार मानते हुए निरस्त करने का आदेश दिया क्योंकि अपीलान्ट अपनी आराजी न. 509 पर जाने के लिए आराजी न. 508 से होकर जाया जाता है। आराजी न. 508 पर अपीलान्ट के भाई नारायण की जमीन होने से नारायण की फाटक लगी हुई है तथा उस फाटक तक आम रास्ता बना हुआ है तथा आराजी न. 508 से होकर अपीलान्ट आराजी न. 509 पर बराबर आ जा रहा है तथा आराजी न. 508 की फाटक के बाहर तिलक नगर कॉलोनी की 30 फीट चौडी रोड़ है तथा आराजी न. 508 से होकर अपनी आराजी न. 509 में अपीलान्ट जा–आ रहा है। मौके पर रास्ते का कोई विवाद नहीं है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था, वह केवल शिकायतकर्ता था तथा उसकी शिकायत निरस्त कर दी गयी तो वह पक्षकार नहीं रहा तथा धारा–90–ए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही में उसे पक्षकार नहीं माना जा सकता है तथा उसके विरूद्ध अपील पेश करने के लिए अपीलेट कोर्ट से पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक है तथा उसके बिना अपील मेन्टीनेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अन्त में वकील रेस्पोडेंट ने न्यायिक दृष्टान्त, आर.आर.डी. 1983 पेज 811, आर.आर. डी. 1985 पेज 584, आर.बी.जे. 2014 पेज 388, आर.बी.जे. 2010 पेज 624, आर.बी.जे. 2013 पेज 198, आर.बी.जे. 2013 पेज 329 एवं आर.बी.जे. 2014 पेज 97 पेश कर अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने का आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। प्रकरण में मौजा सेंती, तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 510, 517, 2372/523 कुल किता 3 कुल रकबा 0.44 है. भूमि के सम्बन्ध में आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत रेस्पोडेंट द्वारा समर्पण की। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी दर्ज रेकर्ड होकर खातेदार अपनी स्वयं की भूमि को हस्तान्तरण, रूपान्तरण एवं विक्रय हेतु स्वतंत्र है। रेकार्ड अनुसार प्रस्तुत नकल ट्रेस एवं जमाबन्दी में भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिखाया गया है। न्यास द्वारा अपीलान्ट की आपत्तियां निस्तारित कर अन्तर्गत धारा 90–ए आदेश दिनांक 06.12.2017 पारित किया गया। आराजी न. 508 पर अपीलान्ट के भाई नारायण की जमीन होने से नारायण की फाटक लगी हुई है तथा उस फाटक तक आम रास्ता बना हुआ है तथा आराजी न. 508 से होकर अपीलान्ट आराजी न. 509 पर बराबर आ जा रहा है तथा आराजी न. 508 की फाटक के बाहर तिलक नगर कॉलोनी की 30 फीट चौडी रोड़ है तथा आराजी न. 508 से होकर अपनी आराजी न. 509 में अपीलान्ट जा–आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास के आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 30.11. 2017 एवं 90–ए का आदेश दिनांक 06.12.2017 विधिसम्मत होना प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेशों में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 30.11.2017 एवं 90–ए का आदेश दिनांक 06.12.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर